वर विनांक - २२/2/10

कार्यालय जिला कलक्टर अलवर जिला अलवर विनांक — अजस्व/11/159/

ः आदेशः-

यतः उप खण्ड अधिकारी थानागाजी से आराजी खसरा नम्बर 413 रकवा 5.35रें० में से 0.75हैं० एवं खठनंठ 425 रकवा 1.85हैं० में से 1.25हैं० कुल किता 2 रकवा 2.00हैं० किरम चारागाह ग्राम नाथूसर तहसील थानागाजी को मॉडल सीनियन सेकण्डरी स्कूल नाथूसर हेतु भूमि आवंटन के प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुये है। जिसमे चारागाह मूमि की नाथूसर हेतु भूमि आवंटन के प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुये है। जिसमे चारागाह मूमि की सिविपूर्ति हेत् आठखठनंठ 34 रकवा 0.81हैं० किस्म बारानी तृतीय एवं खठनंठ 161 रकवा 4.40हैं० में से 1.19हैं० किस्म बारानी प्रथम (सिवायचक लगानी) कुल किता 2 रकवा 2.00हैं० ग्राम नाथूसर तहसील थानागाजी को प्रस्तावित किया है।

उक्त प्रस्तावित भूमि के क्रम में सरपंच ग्राम पंचायत नाथूसर पंचायत समिति धानागाजी द्वारा सर्व सम्मित से भू आवंटन का प्रस्ताव पारित किया है तथा उप नगर नियोजक एनसीआर जयपुर ने अपने पत्रांक टीपीआर/एनसीआर/आवंटन/थानागाजी /11/108 दिनांक 23:1.12 के द्वारा सशर्त भूमि आवंटन की अनापत्ति जारी की है।

अतः उक्त पत्र के क्रम में आठख०नं० ३४ रकबा ०.८१है० किरम बारानी तृतीय एवं . ख०नं० १६१ रकबा १.४०है० में से १.19है० किरम बारानी प्रथम (सिवायचक लगानी) कुल किता थ रकवा १.४०है० में से १.19है० किरम बारानी प्रथम (सिवायचक लगानी) कुल किता थ रकवा १.८०है० ग्राम नाथूसर तहसील थानागाजी को चारागाह हेतु आरक्षित करते हुए, आराजी खसरा नम्बर ४१३ रकबा ५.35है० में से ०.75है० एवं ख०नं० ४२५ रकबा १.८५है० में से आराजी खसरा नम्बर ४१३ रकबा १.८०है० किसमें चारागाह ग्राम नाथूसर तहसील थानागाजी की १.८५है० कुल किता थ रकबा २.००है० किसमें चारागाह ग्राम नाथूसर तहसील थानागाजी की किसम खारिज कर राजस्थान भू राजस्व (स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, धर्मशाला आदि सार्वजनिक जपयोग के भवन निर्माणार्थ राजकीय अनाधिवासित भूमि का आवंदन) नियम १९६३ के तहत माडँल सीनियन सैकण्डरी स्कूल नाथूसर हेतु ९९ वर्षों की लीज पर निम्न सार्तों के अध्याधीन निःशुल्क आवंदन की जाती है।

सार्व :

- ्रह- आवंदित आराजी की विचमापुसार लीज औड सम्पादित कराई जावेंगी।
 - आवंटन अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के निना आवंटन आराजी का किसी प्रकार को वैचान रहन एवं हस्तान्तरण नारी किया जावेंगा।
 - 03. भूमि जिस प्रयोजनार्थ आवंटन पुर्ह है, बसी प्रयोजन के काम में ली जावंगी।
 - 04. आवंदित श्री पर निर्माण फार्य रवीकृति जारी होने की 6 माह की अवधी में आरंग्न किया जाकर 2 वर्ष की अवधी में पूर्ण कराया जावेंगा।
- 05 प्रस्तावित भूभि नाधूसर से जयपुर रोड पर ग्रेयल सडक पर रिश्वत पटवारी रिपॉर्ट में बताया गया है। इस सडक का मार्गाधिकार सार्यजनिक निर्माण विभाग के निर्धारित भाषदण्डों के अनुसार रखा जाएगा।
- 06 प्रस्तावित भूमि पर निग्नलिखित मापदण्ड अनुझेय होगे।
 - ०१ अग्र सेट्येक 18 भीटर।
 - 02 शेष तीनो ओर 9 मीटर।
 - ७७ नवन के शेष मापदण्ड भवन विनिध्म 2010 के अनुरूप रखे जावेगे।
- 07 संस्था द्वारा मॉडल राजरथान (नगरीश क्षेत्र भवन) विनियम 2010 प्रारूप छे प्रावधानानुसार भू गर्भ का जल स्तर बढ़ ने हेतु वर्षा के पानी को एकत्रित करने के लिए समुचित क्षमता का भूभिगत एक या एक से अधिक ढेंक बनाया जावेगा तथा जल के रिसाव हेतु बोरवेलनुमा अथवा सोकपीट (Sock-Pit) जैसी अन्य व्यवस्था की जावेगी।
- 08 संस्था द्वारा भवन निर्माण हेतु अन्य गापदण्ड मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम 2010 प्रारूप के प्रावधानानुसार रखा जावेगा।
- 09 संस्था द्वारा आगन्तुको के वाहनों की वार्किंग गाँडत राजस्थान (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियन 2010 प्रारूप के प्रावधानानुसार एवं आवासीय भूखण्डों के अन्दर ही किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
- 10 संस्था द्वारा भूकाप रोधी बनाने एवं अग्निशमन हेतु नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक प.10(10) नि.टि.वि/3/2003 दिनांक 24.10.07 उल्लेखित नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया एवं भारतीय मान ब्यूरो के विभिन्न आई एस कोड के उपवंधी एवं निर्धारित मापदण्डों की पालना पूर्ण रूप से सुनिश्चित करनी होगी। जिसके लिए संस्था उत्तरदायी होगी।
- गर्य नियंत्रण) अधिनिमय 1981, पर्यावरण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974, वासु (प्रदुषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनिमय 1981, पर्यावरण उंग्रेक्षण अधिनियम 1986 एवं खक्त अधिनियमों के उन्त वने नियमों आदि (यदि लागू होते हैं) के सभी संबंधित प्रावधानों के दृढता पूर्वक पालना की जावेंगी।

While Eulust . Ashuk

- मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम 2010 प्रारूप के प्रावधानानुसार जतनत संबंधी विभिन्न व्यवस्थाएँ राष्ट्रीय भवन सहिता के अनुरूप होगी जो संस्था हारा स्वन अपने रतर की करनी होगी।
- प्ररत्तावित भूमि का उपयोग शैक्षणिक प्रयोगनार्थ ही किया जावेगा। 13

जिला कलक्टर

अंतवर

क्रमांक - राजख/११/ ५५५/-97

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- शासन उप संचिव राजरेव (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर।
- तहसीलदार थानागाजी नियमानुसार आवंटित आराजी का राजस्य रिकार्ड में अनल दरामदं करावें एवं तितम्बा कांटा जावें। 03.
- जिला परियोजना समन्वयक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अलवर की मेजकर तेख है कि आप लीजडीड निष्पादित कराये।
- अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर को भेज कर लेख है कि इत लंख्या पाँच के अनुसार ज़िला परियोजना समन्वयक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 05 अलवर को सडक के मार्गाधिकार से अवरात करावे।
- सरपच ग्राम पंचायत नाथूसर पंचायत समिति थानागाजी। 05.

रक्षित पत्रावली। 07

